

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती डॉ. प्रीति सिंह पंवार (आर.ए.एस.)

प्रोसो - 126/2019

### उपनाम

- 1 ओमप्रकाश पिता रामजस ना.बा.ब.बि. संरक्षक दादी लेहरी बेवा हीरा जाट उम्र वयस्क निवासी गोविन्दगढ तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
- 2 बालूराम पिता हीरा जाट उम्र वयस्क निवासी गोविन्दगढ तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
- 3 देउ पुत्री हीरा जाट उम्र वयस्क निवासी गोविन्दगढ तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
- 4 लेहरी बेवा हीरा जाट उम्र वयस्क निवासी गोविन्दगढ तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.

(प्रार्थी)

### बनाम

1. बद्री पिता प्रताप जाट उम्र वयस्क निवासी डूंगा का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
2. रामेश्वर पिता पन्ना जाट उम्र वयस्क निवासी डूंगा का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
3. लादु पिता गंभीर जाट उम्र वयस्क निवासी डूंगा का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
4. दिलखुश पिता रामलाल जाट उम्र वयस्क निवासी डूंगा का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
5. माधु पिता घीसा जाट उम्र वयस्क निवासी डूंगा का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
6. नन्दा पिता भागु जाट उम्र वयस्क निवासी डूंगा का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
7. बालु पिता कल्याण जाट उम्र वयस्क निवासी डूंगा का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
8. ईशर पिता परतु जाट उम्र वयस्क निवासी डूंगा का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
9. कनीराम पिता भैरु गुर्जर उम्र वयस्क निवासी डूंगा का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
10. गोपाल पिता प्रताप जाट उम्र वयस्क निवासी डूंगा का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
11. नारायण पिता भंवर जाट उम्र वयस्क निवासी डूंगा का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
12. रामलाल पिता हीरा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी डूंगा का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
13. जगदीश पिता लक्ष्मण जाट उम्र वयस्क निवासी डूंगा का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
14. भैरु पिता गोकल जाट उम्र वयस्क निवासी काला का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

श्री मुरारी जोशी .....प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

:: निर्णय ::

दिनांक - 10.10.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 27.06.2019 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम लाम्बियाखुर्द पटवार मण्डल लाम्बियाखुर्द भू0अ0नि0 बंरा तहसील बनेडा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 252 के आ0न0 330, 348 किता 2 रकबा 01-02 बीघा, एवं खाता संख्या 357 के आराजी संख्या 331, 407, 502/5, 988 किता 4 रकबा 04-09 बीघा भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 11.07.2019 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी क्रम 03 को छोडकर शेष समस्त विपक्षीगणों को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये, अवशेष रहे विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से विरुद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी क्रम 03 का सम्मन लौटकर अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी क्रम 03 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर इसका अंकन कर हस्ताक्षर किये गये। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी क्रम 03 का नाम डिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थना प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम लाम्बियाखुर्द पटवार मण्डल लाम्बियाखुर्द भू0अ0नि0 बंरा तहसील बनेडा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 252 के आ0न0 330, 348 किता 2 रकबा 01-02 बीघा, एवं खाता संख्या 357 के आराजी संख्या 331, 407, 502/5, 988 किता 4 रकबा 04-09 बीघा भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बंरा को 600/-रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. प्रीति सिंह पंवार)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा